झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 1605/2023

सुषमा सिरोहा @ सुषमा @ सुषमा सिरोहा, उम्र लगभग 54 वर्ष, पत्नी- विजय कुमार सिरोहा @ विजय कुमार, निवासी प्लॉट नंबर -6, ग्राउंड फ्लोर, स्ट्रीट- के-7.3, एस.ए.एस. आर्काडिया, सेक्टर- 83, डाकघर - सिग्नेचर एवेन्यू, थाना- खेड़की दौला, जिला- गुड़गांव, हरियाणा ...याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. अमित कुमार जालान, पिता- सज्जन जालान, पार्टनर ऑफ मेसर्स जगदंबा ट्रैक्टर्स, ऑफिस पालिका मार्केट, सरकारी बस स्टैंड के पास, रांची-पटना सड़क, डाकघर + थाना - सदर, जिला- हजारीबाग, झारखंड

... विपक्षी गण

के साथ

आपराधिक विविध याचिका संख्या 1606/2023

विजय कुमार सिरोहा @ विजय कुमार @ विजय सिरोहा, उम्र लगभग 56 वर्ष, पुत्र मान सिंह, निवासी फ्लैट नंबर-10, ग्राउंड फ्लोर, स्ट्रीट जी - 5.1, वाटिका इंडिया नेक्स्ट, सेक्टर- 82, डाकघर - सिग्नेचर एवेन्यू, थाना - खेरकी दौला, जिला - गुरगांव, हरियाणा ...याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. अमित कुमार जालान, पुत्र सज्जन जालान, पार्टनर ऑफ मेसर्स जगदंबा ट्रैक्टर्स, ऑफिस पालिका मार्केट, सरकारी बस स्टैंड के पास, रांची-पटना सड़क, डाकघर + थाना- सदर, जिला- हजारीबाग, झारखंड ... विपक्षी

याचिकर्तागणों के लिए : श्री संतोष कुमार सोनी, अधिवक्ता

विपक्षी के लिए : श्री अभय केआर. तिवारी अतिरिक्त लोक अभियोजक

श्री भोला नाथ ओझा, अतिरिक्त लोक अभियोजक

श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष लोक अभियोजक

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. चूंकि ये दोनों आपराधिक विविध याचिकाएं सामान्य एफआईआर, संज्ञान लेने के आदेश और सदर (हजारीबाग) थाना केस नंबर 755 के संबंध में 2016 के जीआर नंबर 2522 के अनुरूप 2016 के जीआर नंबर 2522 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई हैं, इसलिए इन दोनों आपराधिक विविध याचिकाओं का निपटारा इस आम फैसले से किया जाता है।

3. ये दोनों आपराधिक विविध याचिकाएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई हैं, जिसमें एफआईआर को रद्द करने की आम प्रार्थना की गई है, दिनांक 31.01.2023 को संज्ञान लेते हुए आदेश और सदर (हजारीबाग) थाना केस नंबर 755 ऑफ 2016 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही 2016 का जीआर नंबर 2522 जिसके तहत और जहां विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया है और उक्त मामला अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हजारीबाग की अदालत में लंबित है।

4. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 2023 के आपराधिक विविध याचिका संख्या 1606/2023 के याचिकाकर्ता अर्थात् विजय कुमार सिरोहा @ विजय कुमार @ विजय सिरोहा मेसर्स मैकरेगोर मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और आपराधिक विविध याचिका संख्या 1605/2023 के याचिकाकर्ता अर्थात् सुषमा सिरोहा @ सुषमा @ सुषमा सिरोहा उक्त मेसर्स मैकरेगोर मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। इन दोनों मामलों के याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि उन्हें टाटा एलपीटी 909 ट्रक पर लगे 5000 लीटर क्षमता के सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम की खरीद के लिए अपने ग्राहकों से खरीद आदेश प्राप्त हुआ। पूछताछ करने पर, सूचक को पता चला कि श्री विजय कुमार सिरोहा ने *www.Mcraygor.com* में अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत और विदेशों के विभिन्न शहरों में 1000 से अधिक ऐसी मशीनों की आपूर्ति करने का दावा किया है। सूचक द्वारा संपर्क किए जाने पर, श्री विजय कुमार सिरोहा ने सूचक को ऐसी मशीनों की आपूर्ति के लिए अग्रिम के रूप में 9,00,000/- रुपये का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया। सूचक को यह विश्वास दिलाने के बाद कि मैसर्स मैकरेगोर मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के विभिन्न शहरों में ऐसी 1000 से अधिक मशीनों की आपूर्ति की है; विजय कुमार सिरोहा ने ट्रक पर लगे ऐसे सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम का बिल जारी किया जो चेसिस नंबर और इंजन नंबर है और टाटा मोटर्स के अधिकृत डीलर होने के लिए कथित बालाजी मोटर्स के चालान की प्रति भी सौंपी और सूचक को 6,25,000/- रुपये का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने अप्रैल, 2015 के दूसरे सप्ताह तक ट्रक पर लगे उक्त सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम को डिलीवर नहीं किया। बाद में याचिकाकर्ता विजय कुमार सिरोहा ने सूचक को आश्वासन दिया कि उसने सूचक के आदेश के अनुसार चेसिस टाटा मॉडल एलपीटी 909 के ट्रक पर लगे सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम के साथ ट्रक को भेज दिया है और बालाजी मोटर्स के एक चालान भी भेजा है, लेकिन एक जांच में सूचक ने पाया कि यह एक जाली दस्तावेज है क्योंकि बहादुरगढ़ या पूरे राज्य में टाटा मोटर्स का कोई डीलर नहीं है बालाजी मोटर्स के बीजक में दर्शाए गए टिन नम्बर को जाली पाया गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता विजय कुमार सिरोहा प्रबंध निदेशक हैं और याचिकाकर्ता सुषमा सिरोहा उक्त मेसर्स मैकरेगोर मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, जो शिकायतकर्ता से संबंधित बड़ी राशि को धोखा देने और दुरुपयोग करने के इरादे से हैं; योजना बनाकर उक्त अपराध को अंजाम दिया है और सूचक को धोखा दिया है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बाद में याचिकाकर्ताओं ने 17,25,000/- रुपये का चेक जारी किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया और इसके लिए, सूचक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हजारीबाग की अदालत में वर्ष 2015 में शिकायत मामला संख्या 1767 दायर किया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कोल्ला वीरा राघव राव बनाम गोरंट्ला वेंकटेश्वर राव और एक अन्य (2011) 2 एससीसी 703 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा करते हैं, जिसमें उस मामले के तथ्यों में जब भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता को पहले से ही परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने के अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए पुन उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसी अपीलार्थी का विचारण विचारणीय नहीं है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि चेक के अनादरण के लिए, सूचनाकर्ता ने पहले ही वर्ष 2015 में शिकायत केस नंबर 1767 दायर कर दिया है, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 467, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए इस मामले के लिए उसका एक साथ अभियोजन बनाए रखने योग्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता सुषमा सिरोहा के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है और उसे इस मामले में केवल इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वह मेसर्स मैकरेगोर मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं और सभी लेनदेन याचिकाकर्ता विजय कुमार सिरोहा के साथ किए गए हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पैसे का भुगतान पार्टियों के बीच व्यापार लेनदेन के संबंध में था। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 या 420 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने मितेश कुमार जे.शा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जो (2022) 14 एससीसी 572 कंडिका -26 और 36 में रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से नीचे पढ़ा गया है: -

"26. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाई गई शिकायत वह है जिसमें आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के अपराधों का कमीशन शामिल है। जबकि दंड संहिता, 1860 की धारा 405 के तहत अभिकल्पित विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, अपने स्वयं के उपयोग के लिए किसी अन्य की संपत्ति का दुवनियोजन या रूपांतरण करता है, एक बेईमान इरादे से, दूसरी ओर दंड संहिता, 1860 की धारा 415 के तहत परिभाषित अपराध

के रूप में धोखाधड़ी में एक बेईमान या कपटपूर्ण इरादा होने का एक घटक शामिल होता है जिसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को किसी विशिष्ट व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना है। दोनों धाराओं में स्पष्ट रूप से "बेईमान इरादा" निर्धारित किया गया है, यहां तक कि प्रथम दृष्टया उक्त अपराधों के कमीशन को स्थापित करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में। इस प्रकार, यहां पार्टियों द्वारा किए गए प्रासंगिक तर्कों का आकलन करने के लिए, यह सवाल कि क्या अपीलकर्ताओं की कार्रवाई एक बेईमान या धोखाधड़ी योजना को आगे बढ़ाने में की गई थी, जिसकी जांच की आवश्यकता है।

क्या अतिरिक्त फ्लैटों की बिक्री, भले ही की गई हो, केवल अनुबंध का उल्लंघन है?

36. यह न्यायालय हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम भारत संघ मामले में बिहार राज्य [हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, (2000) 4 एससीसी 168: 2000 एससीसी (सीआरआई) 786] ने टिप्पणी की है: (एससीसी पृष्ठ 177, कंडिका 15)

“15. … कि केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर ठीक है। यह प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर निर्भर करता है जिसे उसके बाद के आचरण से आंका जा सकता है लेकिन इसके लिए बाद का आचरण एकमात्र परीक्षण नहीं है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादा नहीं दिखाया जाता है, यही वह समय है जब अपराध किया गया है। इसलिए, यह इरादा है जो अपराध का सार है। किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करने के समय उसका कपटपूर्ण या बेईमान इरादा था।

और प्रस्तुत करता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं का शुरुआत से ही धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए, उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दीपक गाबा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं और (2023) 3 एससीसी 423 कंडिका- 17 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से यह निम्नानुसार है: -

"17. हालांकि, वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर सामग्री आईपीसी की धारा 405 के अवयवों को संतुष्ट करने में विफल रहती है। शिकायत सीधे आईपीसी की धारा 405 के अवयवों का उल्लेख नहीं करती है और यह नहीं बताती है कि कैसे और किस तरीके से, तथ्यों के आधार

पर, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। अनुमान लगाने वाले साक्ष्य का भी अभाव है और इस कारण से नुकसान होता है। इन पहलुओं पर, समन आदेश समान रूप से शांत है, यद्यपि, यह कहा गया है कि "जे.आई.पी.एल. द्वारा 6,37,252.16 रुपये की जाली मांग उठाई गई थी, जो शुभांकर पी तोमर और साक्षी तिलक चंद के बयानों के संदर्भ में नहीं है"। केवल गलत मांग या दावा सौंपने, बेईमानी से दुवनियोजन, धर्मांतरण, उपयोग या निपटान स्थापित करने के लिए साक्ष्य के अभाव में धारा 405 आईपीसी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करेगा, जो कार्रवाई कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन होनी चाहिए, या कानूनी अनुबंध जो ट्रस्ट के निर्वहन को छूता है। इसलिए, भले ही प्रतिवादी 2 शिकायतकर्ता की राय है कि मौद्रिक मांग या दावा गलत है और देय नहीं है, धारा 405 आईपीसी की आवश्यकताओं को साबित करने में विफलता को देखते हुए, उसी धारा के तहत अपराध का गठन नहीं किया जाता है। आईपीसी की धारा 405 के तहत अपराध के अवयवों को संतुष्ट करने वाले तथ्यात्मक आरोपों की अनुपस्थिति में, केवल 6,37,252.16 रुपये की मौद्रिक मांग पर विवाद, आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने को आकर्षित नहीं करता है।

और प्रस्तुत करता है कि केवल गलत मांग या दावा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करेगा, जो कि सौंपने, बेईमानी से दुवनियोजन, रूपांतरण, उपयोग या निपटान स्थापित करने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में होना चाहिए, जो कार्रवाई कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन होनी चाहिए, या कानूनी अनुबंध विश्वास के निर्वहन को छूता है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य के मामल के फैसले पर भरोसा करते हैं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2015) 8 एससीसी 293 कंडिका -13 में रिपोर्ट किया, जिसमें से निम्नानुसार है: -

"13. यह सच है कि तथ्यों का एक दिया गया सेट एक नागरिक गलत के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध भी बना सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के लिए एक नागरिक उपचार उपलब्ध हो सकता है जो स्वयं एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। असली परीक्षा यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं। वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि शुरुआत में ही आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था, जो धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। हमारे विचार में

शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है। आपराधिक कार्यवाही को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब यह दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है। इस शक्ति का प्रयोग करते समय उच्चतर न्यायालयों को न्याय के सिरों की सेवा करने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारी राय में, इन तथ्यों के मद्देनजर, पुलिस जांच को जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने में त्रुटि की कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रक्रिया संहिता।

और प्रस्तुत करता है कि चूंकि आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करते हैं और किसी भी आरोप के अभाव में कि शुरुआत में ही आरोपी व्यक्तियों का धोखा देने का कोई इरादा था; जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हजारीबाग ने उक्त अपराध का संज्ञान लेने में अवैधता की।

9. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि बालाजी मोटर्स के एफआईआर के साथ संलग्न बिल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि बालाजी मोटर्स टाटा मोटर्स का अधिकृत डीलर है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि एफआईआर का संज्ञान लेते हुए आदेश दिनांक 31.01.2023 और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 2016 के जीआर नंबर 2522 के अनुरूप 2016 के थाना केस नंबर 755 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए ।

10. विद्वान विशेष लोक अभियोजक राज्य की ओर से उपस्थित होने से याचिकाकर्ताओं की एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया गया और एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिनांक 31.01.2023 और सदर (हजारीबाग) थाना केस नंबर 755 वर्ष 2016 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही 2016 की जीआर संख्या 2522 के अनुरूप है, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हजारीबाग की अदालत में लंबित है, और प्रस्तुत करें कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तथ्य निर्विवाद है कि याचिकाकर्ताओं को टाटा एलपीटी 909 ट्रक पर लगे सीवरेज निपटान प्रणाली की आपूर्ति करनी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने बालाजी मोटर्स के चालान के साथ सूचक के आदेश के अनुसार ट्रक को भेज दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से टाटा एलपीटी 909 ट्रक का चेसिस नंबर और इंजन नंबर है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि उन्होंने टाटा मोटर्स के अलावा किसी अन्य मेक के ट्रक पर सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम लगाया है।

तो, स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट है कि जब तक बालाजी मोटर्स टाटा मोटर्स का अधिकृत डीलर नहीं है, तब तक वह टाटा एल.पी.टी. 909 ट्रक के चेसिस को नहीं बेच सकता था। इसलिए, चालान में 'टाटा मोटर्स के डीलर' शब्द का उल्लेख किया गया है या नहीं, जो याचिकाकर्ताओं को हरियाणा के बहादुरगढ़ में गैर-मौजूद बालाजी मोटर्स होने के कारण डीलर द्वारा जारी किए गए चालान के आकार में एक झूठा दस्तावेज बनाकर जालसाजी का अपराध करने से मुक्त नहीं करेगा; ऐसा इसलिए भी क्योंकि निर्विवाद तथ्य यह है कि उक्त विधेयक में उल्लिखित टिन नंबर जाली है और यह आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराधों का गठन करने के लिए पर्याप्त है।

11. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक संगीतबेन महेंद्रभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2012) 7 एससीसी 621 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं और कंडिका -37 से 39 जिनमें से निम्नानुसार पढ़ें: -

"37. बेशक, अपीलकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पहले की कोशिश की गई थी और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस मामले में, वह धारा 406/420 के साथ धारा 114 आईपीसी के तहत शामिल है। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन में, चेक जारी करने के समय मेन्स रीया यानी धोखाधड़ी या बेईमानी के इरादे को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यहां शामिल आईपीसी के तहत मामले में, मेन्स रिया का मुद्दा प्रासंगिक हो सकता है। आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध गंभीर है क्योंकि इसमें 7 साल की सजा हो सकती है।

38. एनआई अधिनियम के तहत मामले में, एक कानूनी धारणा है कि चेक पूर्ववर्ती देयता के निर्वहन के लिए जारी किया गया था और यह अनुमान केवल उस व्यक्ति द्वारा खंडन किया जा सकता है जो चेक खींचता है। आईपीसी के तहत अपराधों में ऐसी आवश्यकता नहीं है। एनआई अधिनियम के तहत मामले में, यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य देयता को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाना है। आईपीसी के तहत अपराधों में ऐसी आवश्यकता नहीं हो सकती है। एनआई एक्ट के तहत मामला केवल शिकायत दर्ज करके शुरू किया जा सकता है। हालांकि, आईपीसी के तहत एक मामले में ऐसी शर्त आवश्यक नहीं है।

39. दोनों मामलों में तथ्यों का कुछ अतिव्यापी हो सकता है लेकिन अपराधों के तत्व पूरी तरह से अलग हैं। इस प्रकार, बाद का मामला पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधानों में से किसी द्वारा वर्जित नहीं है।

और प्रस्तुत करें कि अभियोजन पक्ष के लिए, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत, चेक जारी करने के समय मेन्स रीया यानी धोखाधड़ी या बेईमानी के इरादे को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यहां शामिल आईपीसी के तहत मामले में, मासिक धर्म का मुद्दा प्रासंगिक हो सकता है और धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध गंभीर है जिसमें 7 साल की सजा दी जा सकती है। इसलिए, बाद का मामला किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा वर्जित नहीं है।

12. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके अलावा इस मामले में अपने विभिन्न रूपों में जालसाजी का अपराध शामिल है जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 और 471 के तहत दंडनीय है, जिसका धारा 138 एनआई अधिनियम, 1881 के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, केवल इसलिए कि सूचक ने 2015 का शिकायत मामला संख्या 1767 दायर किया था, इस मामले पर रोक नहीं लगाई गई है।

13. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि मामलों के तथ्य, जिनके निर्णयों पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, इस मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग हैं क्योंकि उन मामलों में से किसी में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 के तहत जालसाजी से संबंधित अपराध शामिल नहीं हैं। यहां, यह तथ्य कि याचिकाकर्ताओं ने धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी की; स्वयं यह स्थापित किया है कि उनका इरादा लेन-देन के आरंभ से ही अपनी वेबसाइट पर और साथ ही सूचक के साथ अपनी बैठक में यह झूठा दावा करके कि उन्होंने ट्रकों पर लगे सीवरेज निपटान प्रणाली के 1000 से अधिक टुकड़ों की आपूत की थी, जो कि गलत भी था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के रूप में, मामले की जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और आरोप-पत्र धारा 406, 420, 467,भारतीय दंड संहिता की धारा 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन आपराधिक विविध याचिकाओं को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

14. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है और इस तरह बेईमानी से सूचक को 17,25,000/- रुपये देने के लिए प्रेरित किया गया है और उसके बाद झूठे दस्तावेज बनाकर जालसाजी की गई है और ट्रक के चेसिस का झूठा चालान बनाया गया है, जिस पर सीवरेज निपटान प्रणाली को स्पष्ट रूप से छिपाने के लिए लगाया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराध और अंततः यह जानते हुए कि इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, चेक जारी किया गया। संगीतबेन महेंद्रभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य (ऊपर वर्णित) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों की प्रकृति के साथ-साथ 2015 के शिकायत केस नंबर 1767 में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, इस एफआईआर को जारी रखना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराधों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित अपराध शामिल हैं, जब 2015 का शिकायत मामला संख्या 1767 अभी भी लंबित है।

15. अब, याचिकाकर्ताओं के तर्क पर आते हुए कि याचिकाकर्ता सुषमा सिरोहा के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त याचिकाकर्ता- सुषमा के खिलाफ प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप हैं सिरोहा ने यह भी कहा कि वह मेसर्स मैकरेगोर मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक होने के नाते, शुरू से ही धोखा देने का इरादा रखती थी और उसने सूचक को बड़ी राशि रु.17,25,000/-का धोखा दिया है।

16. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप, मामले की जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और आरोप-पत्र, जब उनकी संपूर्णता में सच माने जाते हैं, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराध उनके खिलाफ बनते हैं। जैसा कि विद्वान एस.पी.पी. और विद्वान अपर पी.पी. राज्य के लिए उपस्थित होने के लिए कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों के तथ्य इस मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग हैं क्योंकि उन मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 और 471 के तहत दंडनीय जालसाजी के अपराधों के कमीशन का कोई आरोप नहीं था।

17. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए एक वैध अभियोजन को नहीं रोकना चाहिए जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोनिका कुमार (डॉ.) और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में (2008) 8 एससीसी 781 में रिपोर्ट किया गया है।

18. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि ये उपयुक्त मामले नहीं हैं जहां याचिकाकर्ताओं की एफआईआर को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना, दिनांक 31.01.2023 को संज्ञान लेने के आदेश और 2016 के जीआर संख्या 2522 के अनुरूप सदर (हजारीबाग) थाना केस नंबर 755 ऑफ 2016 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है, हजारीबाग को अनुमति दी जाए।

19. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं की 31.01.2023 को संज्ञान लेते हुए एफआईआर के आदेश को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना और 2016 के जीआर संख्या 2522 के अनुरूप 2016 के सदर (हजारीबाग) थाना केस नंबर 755 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हजारीबाग की अदालत में लंबित है, खारिज कर दिया।

20.परिणाम में, इन दोनों आपराधिक विविध याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 20 मार्च, 2024

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।